

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय आदेश सं०-107/2024

रेलवे बोर्ड के पत्र सं०-PC/V/2009/ACP/2 dt. 10.06.09 (RBE No. 101/09) के अनुपालन में MACP योजना के तहत सुयोग्यता जाँच में सफल एवं DAR/SPE/Vig. मामले से मुक्त रहने के उपरान्त वाणिज्य विभाग/पूमरे में कार्यरत निम्न कर्मचारी को उनके नाम के सामने दर्शाये गये लेवल (ग्रेड पे) में वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान निम्न प्रकार किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम/सर्वश्री	पदनाम/वेतनमान/लेवल	कार्यस्थल	वित्तीय उन्नयन दिये जाने के पूर्व पे लेवल	वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप पे लेवल		अभ्युक्ति
					पे लेवल	तिथि	
1	Motilal Gupta	CCI, Level-8	PCCM Office, HJP	Level-8	Level-9	29.10.2023	3rd MACP
2	Soni Kumari	OS, Level-6	PCCM Office, HJP	Level-6	Level-7	01.11.2023	3rd MACP
3	Rohit Kumar	OS, Level-6	PCCM Office, HJP	Level-6	Level-7	01.11.2023	3rd MACP

उपरोक्त वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप कर्मचारी को वरीयता आदि का कोई अतिरिक्त लाभ देय नहीं होगा तथा ये अपनी अगली पदोन्नति मूल वरीयता के अनुसार पायेंगे, कर्मचारी का पदनाम भी यथावत रहेगा। यदि कर्मचारी चाहें तो नियम 1313 आर II के तहत वित्तीय प्रोन्नयन पर वेतन निर्धारण हेतु एक माह के अंदर विकल्प दे सकते हैं। एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा।

यह सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित है।

Digitally Signed by Manoj
Ku Choudhary (मनोज कुमार चौधरी)
Date: 28-05-2024 संकाधि/ईएसएम
Reason: Approved कृत महाप्रबंधक/कार्मिक

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

01. प्रमुवाप्र/पूमरे/हाजीपुर
02. प्रविस/पूमरे/हाजीपुर
03. संकाधि/बिल
04. अभिलेख प्रति।
05. संबंधित कर्मचारीगण।